निविदा प्रलेख
धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, बी.आर.बी.आर.ए.आई.टी.टी, रिज रोड, जबलपुर (म.प्र.)
निविदा प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश /शर्ते

1. निविदाकर्ता के पास शासकीय/ अर्द्धषासकीय संस्थाओं एवं अन्य स्थानों पर संबंधित **सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने एवं सुरक्षा एजेंसी** संचालन संबधित वैध पंजीयन/ लायसेंस होना तथा **उक्त कार्य करने का** कम से कम तीन वर्षो का अनुभव होना अनिवार्य है।
2. निविदा फार्म के साथ रुपये 10,000/– धरोहर राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **''रजिस्ट्रार, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय , जबलपुर '' के नाम का** संलग्न करना होगा ।
3. असफल निविदाकारों की धरोहर राशि निविदा खोले जाने की तिथि से एक माह के भीतर वापस कर दी जावेगी।
4. सफल निविदाकार की धरोहर राषि अनुबंध निष्पादन उपरांत वापस लौटायी जावेगी। अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहने की दशा में धरोहर राशि वापसी योग्य नहीं होगी । वापस की गई धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही संविदा पूर्ण होना समझा जावेगा ।
5. निविदा दो लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत प्रस्तुत की जायेगी।
6. प्रथम लिफाफे में निविदाकार की विवरणी जो कि संलग्न **पत्रक कमांक 'अ'** अनुसार होगी और धरोहर राशि रुपये दस हजार रुपये 10,000/– का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **''रजिस्ट्रार, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय'', जबलपुर के नाम का** रखा जावेगा। साथ ही बैक ड्राफ्ट से संबंधित जानकारी का **पत्रक – ब भी रखा जाकर** इस लिफाफे पर **''लिफाफा कमांक–1''** अंकित करना और सीलबंद करना अनिवार्य होगा।
7. निविदा विवरणी **प्रपत्र–अ** में अपेक्षित दस्तावेजों की मूल निविदाकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा खोले जाने के समय अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना होंगी। मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति निविदा अमान्य की जावेगी और निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत **लिफाफा कमांक–2** जिसमें वित्तीय ऑफर दिया गया है, नहीं खोला जायेगा।
8. दूसरे लिफाफे में निविदा दर **''प्रपत्र कमांक–स''** में प्रस्तुत करनी होगी और इस लिफाफे के उपर **''लिफाफा कमांक–2 निविदा की दरें''** अंकित करना और सीलबंद करना अनिवार्य होगा।
9. उक्त दोनों लिफाफे अर्थात् **लिफाफा कमांक–1** एवं **लिफाफा कमांक–2 को** अधिकतम ए–4 आकार के बंद मजबूत लिफाफे में रखकर सीलबंद कर दिनांक **20 अगस्त दोपहर 1.00 बजे** तक **धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (बी.आर.बी.आर.ए.आई.टी.टी), रिज रोड, जबलपुर** के कार्यालय में रखे गये निविदा बाक्स में डाल कर रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा । लिफाफे के उपर **''सुरक्षा व्यवस्था हेतु''** अंकित करना अनिवार्य होगा। सभी लिफाफो पर निविदाकर्ता का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर लिखा जाना अनिवार्य है।

10. नियत दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

11. निविदायें दिनांक **21 अगस्त दोपहर 3.00 बजे** उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष विश्वविद्यालय के कार्यालय में खोली जाएगी ।

12. सर्वप्रथम निविदाकार का **लिफाफा कमांक–1** खोला जायेगा।

13. प्रपत्र–01 में अपेक्षित दस्तावेजों की मूल निविदाकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने के पश्चात **लिफाफा कमांक 2** खोला जायेगा ।

14. वित्तीय आफर में जिस निविदाकार एजेंसी का **सेवा प्रभार अर्थात् निविदा दर** सुरक्षाकर्मियों को प्रतिमाह देय मासिक पारिश्रमिक के 02 (दो) प्रतिशत से कम नहीं होगी, उसकी निविदा पर विचार किया जावेगा।

15. यदि एक से अधिक निविदाकारों के वित्तीय प्रस्ताव में समान **सेवा प्रभार** दरें प्राप्त होने की स्थिति में तकनीकी मूल्यांकन में बेहतर अंक वाले निविदाकार का चयन किया जावेगा। इस संबंध में कुलपति का निर्णय सर्वोपरि व आबद्धकारी होगा।

16. यदि तकनीकी मूल्याकंन एवं वित्तीय प्रस्ताव में समान अंक है तो ऐसे निविदाकार का चयन किया जायेगा जिसका विगत वर्ष 2017–18 में म0प्र0 के शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में उपलब्ध कराये गये सुरक्षागार्डो की संख्या सर्वाधिक हो एवं निविदा जारी करने के पूर्व म0प्र0 में सर्वाधिक शाखायें हों। इस संबंध में कुलपति का निर्णय सर्वोपरि व आबद्धकारी होगा।

17. निविदाकार को निविदा के साथ आयकर के भुगतान का वित्तीय वर्ष 2017–18 का आयकर विभाग को प्रस्तुत रिटर्न की स्वयं सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

18. सशर्त प्रस्तुत की गई निविदा मान्य नहीं होगी।

19. कुलपति, **धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय**, को निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में कोई आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी।

20. तकनीकी मूल्यांकन

तकनीकी मूल्यांकन के लिए स्कोरिंग शीट :–

निविदाकारों द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी।	**मापदंड**	**अधिकतम अंक**	**निविदाकार को प्राप्त अंक**	**कार्यालय उपयोग हेतु**
1.केन्द्र शासन के विभाग/उपक्रम या राज्य शासन के विभाग/उपक्रम या राष्ट्रीयकृत एवं शेडयूल बैको आदि की सुरक्षा व्यवस्था का संबधित संस्था अथवा स्वयं द्वारा प्रमाणित कार्यानुभव प्रमाण पत्र।	03 वर्ष से 05 वर्ष तक के अनुभव के लिये –05 अंक 06 वर्ष से अधिक लेकिन 07 वर्ष तक के अनुभव के लिये –10 अंक 07 वर्ष से अधिक लेकिन 08 वर्ष तक के अनुभव के लिये	30		

	–15 अंक 08 वर्ष से अधिक लेकिन 09 वर्ष तक के अनुभव के लिये –20 अंक 09 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष तक के अनुभव के लिये –25 अंक 10 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिये –30 अंक			
2. विगत 03 वर्षो (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) में उक्त में से किसी एक या एक से अधिक संस्थाओं में सुरक्षा कर्मियों की प्रतिवर्ष नियोजित संख्या	100 से 250 कर्मचारियों तक –08 अंक 250 से अधिक लेकिन 500 तक –16 अंक 500 से ज्यादा नियोजित कर्मी होने पर –25 अंक	25		
3. पिछले 3 वर्ष अर्थात् वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का प्रतिवर्ष टर्नओवर	टर्न ओवर 10 लाख से 50 लाख वार्षिक होने पर – 05 अंक टर्न ओवर रू. 50 लाख से रू. 3 करोड़ वार्षिक होने पर –10 अंक टर्न ओवर रू. 3 करोड से अधिक एवं रू.10 करोड वार्षिक तक होने पर –15 अंक टर्न ओवर रू. 10 करोड वार्षिक से अधिक होने पर –25 अंक	25		
4. स्वामित्व	एकल स्वामित्व होने की दशा में –10 अंक पंजीकृत साझेदारी फर्म होने की दशा में –15 अंक पंजीकृत कंपनी होने की दशा में –20 अंक	20		
कुल अंक		100		

21. निविदाकार की तकनीकी व वित्तीय योग्यता का आंकलन निविदा में वर्णित मूल्यांकन शीट में दिये गये विभिन्न मापदण्डों के आधार पर किया जावेगा। विभिन्न मापदण्डों के लिए अलग–अलग अंको का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार योग्य पाये गये निविदाकारों को प्राप्त अंको के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जावेगी। मेरिट के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होगे। सर्वोच्च स्थान पाने वाली समान निविदाओं को मेरिट क्रमांक–1, उसके पश्चात समान अंक प्राप्त करने वाली निविदाओं को मेरिट क्रमांक–2 तथा आगे के क्रम उसके पश्चात समान अंक प्राप्त निविदाओं को मेरिट क्रमांक–3 आंवटित किया जावेगा।

22. उपरोक्त अनुसार मेरिट क्रमांक–1, 2 तथा 3 की निविदायें तकनीकी रूप से मान्य की जावेगी व उनके वित्तीय ऑफर खोले जावेगे। अन्य निविदाकर्ता इस संबंध में कोई अधिकार नहीं रखेंगे।

23. अनुबंधर्ता एजेंसी को केन्द्र शासन के विभाग/उपक्रम या राज्य शासन के विभाग/उपक्रम या राष्ट्रीयकृत एवं शेडयूल बैको आदि की सुरक्षा व्यवस्था का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव और वर्तमान में, एजेन्सी में कार्यरत/नियोजित सुरक्षा कर्मियों की संख्या (एक संस्था या विभिन्न संस्थाओं को जोडकर) **कम से कम 50** होना अनिवार्य है।

24. निविदा प्रस्तुत करने के साथ निविदाकार को प्रमाण सहित उन संस्थाओं की सत्यापित सूची लगाना होगी जहां वह अपनी सेवाएं दे रहा है।

25. निविदाकार द्वारा वर्ष 2017–18 में म0प्र0 के शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में यदि सुरक्षागार्ड उपलब्ध कराये गये हों तो सुरक्षागार्डो की संख्या के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

26. निविदाकार का जबलपुर में कार्यालय होना अनिवार्य है । कार्यालय जबलपुर में स्थित होने के संबध में विधि अनुसार निर्धारित प्रमाण/ दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा ।

27. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त रजिस्ट्रार, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर से अनुबंध नहीं करने की दशा में निविदाकार की सुरक्षा राशि विश्वविद्यालय द्व ारा राजसात कर ली जावेगी।

28. निविदाकार की निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त विधि अनुसार देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर रजिस्ट्रार, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर से तीन वर्षो के लिये अनुबंध करना होगा ।

29. निविदा के नियम एवं शर्तों में परिवर्तन आत्यंतिक का अधिकार कुलपति, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर को है ।

रजिस्टार
धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,
जबलपुर, (म.प्र.)

धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, बी.आर.बी.आर.ए.आई.टी.टी, रिज रोड, जबलपुर (म.प्र.)

अनुबंध से संबधित प्रस्तावित शर्ते

सुरक्षा व्यवस्था हेतु कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या निम्नानुसार होगीः–

क0	पदनाम	पद संख्या
1.	सुपर वाइजर	3 (तीन शिफ्ट हेतु – प्रत्येक षिफ्ट हेतु एक)
2.	सुरक्षा गार्ड (कुल) पुरुष सुरक्षा गार्ड महिला सुरक्षा गार्ड	24 (तीन शिफ्ट हेतु) 21 3

1. निविदा स्वीकृत होने के बाद, निविदाकार जिसे कि आगे चल कर अनुबंधकर्ता एजेंसी संबोधित किया गया है , के द्वारा **''रजिस्ट्रार, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर''** के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी जबलपुर स्थित शाखा पर भुगतान योग्य, रू0 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) की सुरक्षा निधि अखण्डनीय (Irrevocable) बैंक गारंटी के रुप में अनुबंध के समय जमा करनी होगी जिसकी वैधता अवधि अनुबंध समाप्ति से एक वर्ष पश्चात होना अनिवार्य होगी। सुरक्षाकर्मियों की संख्या में आवष्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
2. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर स्थित प्रशासनिक, अकादमिक कार्यालय व छात्र व छात्राओं के हॉस्टल परिसर आदि की सुरक्षा हेतु तीन शिफ्टों में सुरक्षा गार्ड, तथा सुपरवाइजर की व्यवस्था करनी होगी जो 24 घंटे तैनात रहेंगें। प्रत्येक सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी की अवधि 8.00 घंटे होगी जो प्रातः सात बजे से अपरांह 3 बजे तक, अपरांह 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक और रात्रि 11 बजे से प्रातः 7 बजे तक होगी ।
3. अनुबंधकर्ता एजेंसी का यह कर्तव्य होगा कि वह धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर स्थित कार्यालय, हॉस्टल व परिसर में कार्यरत फैकल्टी , छात्र छात्राओं, समस्त कर्मचारी आदि के जान माल, परिसर/प्रांगण में स्थित चल, अचल सम्पत्ति आदि की सुरक्षा, उसके द्वारा प्रदायित सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से सुनिश्चित कराये ।
4. यदि अनुबंधकर्ता एजेंसी का सुरक्षा संबधी कार्य संतोषप्रद पाया जावेगा तो अनुबंध अवधि समाप्ति के पूर्व आपसी सहमति से अनुबंध में उल्लेखित शर्तो के अधीन रजिस्ट्रार, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा अनुबंध की अवधि में अधिकतम

एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।

5. अनुबंधकर्ता एजेंसी का सुरक्षा संबधी कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर, 1 (एक) माह की पूर्व लिखित सूचना उपरांत रजिस्ट्रार, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा अनुबंध को समयावधि के पूर्व समाप्त भी किया जा सकता है।

6. सुरक्षा गार्ड्स तथा सुपरवाइजर की 8 (आठ) घण्टे की ड्यूटी जिसमें रविवार तथा अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिन भी शामिल हैं,के मासिक वेतन तथा भत्ते का भुगतान अनुबंधकर्ता एजेंसी के द्वारा जिला कलेक्टर जबलपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित मासिक वेतन की दर से किया जावेगा । प्राविडेट फण्ड, ई.एस.आय., जी.एस.टी. अथवा सर्विस टेक्स राशि के भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी ।

7. अनुबंधकर्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा गार्ड व सुपरवाइजर को वेतन का भुगतान नियमित रुप से आगामी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक हो जावे तथा प्राविडेंट फण्ड, ई.एस.आय. तथा सर्विस टेक्स /जी.एस.टी. राशि भी संबधित विभाग में नियमानुसार जमा हो जावे ।

8. पदस्थ सुरक्षा गार्ड्स के कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में अनुबंधकर्ता एजेंसी को तत्काल दूसरे सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करनी होगी।

9. सुरक्षा गार्ड्स को वर्दी, मोजा, जूता, रेनकोट, गर्म जर्सी, टार्च सेल, डंडा व सुरक्षा सामग्री आदि मुहैया कराने का दायित्व अनुबंधकर्ता एजेंसी का होगा जिसका पृथक से किसी भी तरह का भुगतान, अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा नही किया जावेगा।

10. अनुबंधकर्ता एजेंसी का कोई सुरक्षा गार्ड यदि किसी गैर कानूनी कार्यकलाप में लिप्त पाया जाता है अथवा उसके द्वारा कोई अभद्रता की जाती है अथवा किसी भी प्रकार के नशे में पाया जाता है अथवा अनुबंधकर्ता संस्था के हितों के विपरीत कार्य करता हुआ पाया जाता है तो अनुबंधकर्ता संस्था के अधिकारी को अधिकार रहेगा कि ऐसे सुरक्षा गार्ड को तत्काल परिसर से हटा दें एवं अनुबंधकर्ता एजेंसी का यह दायित्व होगा कि उसके स्थापन्न की तत्काल पूर्ति करे।

11. अनुबंधकर्ता एजेंसी श्रम कानूनों का पालन के लिये बाध्य होगी। उसे संबधित विभागों में आवश्यक पंजीयन करवा कर अथवा / और अनुमति प्राप्त कर , अनुबंध किये जाने के एक माह की अवधि में अनुबंधकर्ता संस्था के कार्यालय में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।

12. प्रचलित सुरक्षा कानून के प्रावधानों का पालन करने की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी।

13. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा सुरक्षा गार्ड्स व सुपरवाइजर को जिला कलेक्टर द्वारा

समय–समय पर निर्धारित मासिक पारिश्रमिक की दर से वेतन भुगतान किया जावेगा। भुगतान संबधित सुरक्षागार्ड व सुपरवाइजर के KYC धारित बैंक खाते में NEFT/ RTGS/ अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जावेगा। नकद अथवा चेक से भुगतान किसी भी स्थिति में नही किया जावेगा।

14. यदि कम भुगतान या समय पर भुगतान नही करने की शिकायत प्राप्त होती है और प्रमाणित पाई जाती है, तो अनुबंधकर्ता एजेंसी का यह कृत्य अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये कार्यवाही की जावेंगी।

15. अनुबंधकर्ता एजेंसी को संस्था में लगाये गये सुरक्षा कर्मियों तथा सुपरवाइजर के बायोडाटा मय फोटो, **आधार कार्ड नम्बर** आदि के साथ **निर्धारित प्रपत्र में** पूर्ण जानकारी सहित संस्था के अभिलेख में सुरक्षित रखने हेतु उपलब्ध कराया जावेगा। बायोडाटा जमा कराये बगैर अनुबंधकर्ता एजेंसी के द्वारा सुरक्षा गार्ड को ड्यूटी पर नहीं लगाया जायेगा।

16. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा पदस्थ किये गये सभी सुरक्षा गार्डस व सुपरवाइजर को परिचय–पत्र (आई कार्ड) देना अनिवार्य होगा तथा परिचय पत्र की छायाप्रति अनुबंधकर्ता संस्था को अनुबंध दिनांक से एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा ।

17. अनुबंधकर्ता एजेंसी के द्वारा तैनात किये जाने वाले प्रत्येक सुरक्षा गार्ड् व सुपरवाइजर का पुलिस वेरीफिकेशन तथा स्वस्थता प्रमाण पत्र अनुबंध निष्पादन से एक माह के अंदर, अनुबंधकर्ता संस्था को प्रस्तुत करना होगा। इसकी पूर्ति होने के पश्चात ही अनुबंधकर्ता एजेंसी को मासिक पारिश्रमिक भुगतान किया जायेगा।

18. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा अनुबंधकर्ता संस्था में पदस्थ प्रत्येक सुरक्षा गार्ड व सुपरवाइजर की प्रत्येक माह देय ई0पी0एफ0 की निर्धारित राशि संबधित कार्यालय में जमा करा कर चालान/रसीद सुरक्षा कर्मियों के नाम सहित अपने लेटरपेड पर लिखकर, सील लगाकर हस्ताक्षर कर संस्था को प्रत्येक दो माह में उपलब्ध करानी होगी। इस आवश्यकता की पूर्ति के उपरांत, अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा मासिक पारिश्रमिक का भुगतान एजेन्सी को किया जावेगा।

19. सुरक्षा गार्ड्स व सुपरवाइजर से संबंधित वैधानिक भुगतान/ कटौत्रे जैसे ईपीएफ, ई.एस.आई. सर्विस टेक्स /जी.एस.टी आदि से संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत अपेक्षित सभी विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति व पालन की जिम्मेदारी पूर्णतः अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी।

20. कर्तव्य के दौरान यदि सुरक्षागार्ड किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो क्षतिपूर्ति का दायित्व अनुबंधकर्ता एजेंसी का ही होगा।

21. अनुबंधकर्ता एजेंसी को निम्न तथा अन्य प्रचलित अधिनियमों / नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगाः–

[a] The Private Security Agencies (Regulation) Act,2005

[b] Madhya Pradesh Private Security Agencies (Regulation) Rules, 2012

[c] Minimum Wages Act ,1948.

[d] Contributory P.F. And Miscellaneous Provisions Act,1952

[e] Factories Act, 1948 & M.P. Rules.

[f] Contract labour [Regulation & Abolition) Act, 1970.

[g] Payment of Wages Act, 1936.

[h] Workmen's Compensation Act, 1923 & the relevant Rules.

[i] Goods and Services Tax, Act (GST Act).

22. उपरोक्त अधिनियमों के अतिरिक्त अन्य प्रासंगिक अधिनियम व नियमों के प्रावधानों का भी पालन किया जाना अनुबंधकर्ता एजेंसी के लिये आवश्यक होगा जो निविदा में वर्णित कार्य पर प्रत्यक्ष या प्ररोक्ष रूप से अनुबंधकर्ता एजेंसी के लिये लागू होते हैं।

23. भुगतान की गई राशियों का अनुबंधकर्ता एजेंसी को नियमानुसार लेखा संधारण करना होगा जिसे अनुबंधकर्ता संस्था के कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

24. यदि किसी मामले में अनुबंधकर्ता संस्था उचित समझती है कि जांच आवश्यक है या पुलिस थाना में रिपोर्ट करना आवश्यक हो तो अनुबंधकर्ता एजेंसी को संस्था के निर्देशों का पालन करना होगा ।

25. अनुबंधकर्ता संस्था के भवन एवं परिसर/प्रांगण का पूरा भाग जिसके लिए अनुबंधकर्ता एजेंसी को लगाया गया है के किसी भाग या क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड न लगाये जाने/न प्रदाय करने की स्थिति में अनुबंधकर्ता एजेंसी को देय भुगतान में से अनुपातिक रूप से उतनी राशि काटी जावेगी।

26. अनुबंधकर्ता एजेंसी अथवा उसके सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही के कारण अनुबंधकर्ता संस्था को या उसकी सम्पत्ति को कोई क्षति/हानि होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति

अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगी।

27. अनुबंधकर्ता एजेंसी के द्वारा कार्य आदेश प्राप्त होने पर या अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात, निविदा के अंतर्गत दिये गये कार्य को, किसी भी स्थिति में अन्य संस्था/व्यक्ति को अंशतः या पूर्णतः हस्तांतरित नही किया जावेगा ।

28. अनुबंध की किसी शर्त से उत्पन्न विवाद की दशा में **कुलपति, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर** की यथास्थिति कार्यकारिणी समिति / वित्तीय समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

29. किसी भी प्रकार से विवाद की दशा में न्यायक्षेत्र जिला न्यायालय जबलपुर रहेगा।

30. अनुबंधकर्ता एजेंसी को निम्न प्रारुप में धोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा :–

–

<u>घोषणा–पत्र</u>

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते है कि हमें/मुझे धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा प्रस्तावित सभी शर्तें मंजूर है। हम/मैं इस पर सहमति देता / देते हैं/हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था के लिये लगाये गये सुरक्षा कर्मियों को समय–समय पर जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर के आधार पर माह की प्रत्येक 10 तारीख पर भुगतान किया जावेगा। शासन के नियम/निर्देशों के तहत वैधानिक देय राशि कटोत्रे यथा ई0एस0आई0/ई0पी0एफ0 तथा सर्विस टैक्स /जीएसटी आदि की राशि निविदा की शर्तों के अनुसार संबंधित शासकीय कार्यालय में जमा करूँगा। अनुबंध अवधि में यदि सर्विस टैक्स/जी.एस.टी. ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 सभी प्रकार के लेवी/टैक्स जमा करने संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो समस्त प्रकार की राशि जमा करने की जिम्मेदारी हमारी/मेरी रहेगी। लेवी/टैक्स की राशि जमा संबंधी विवाद में अनुबंधकर्ता संस्था उत्तरदायी नहीं होगी।

आवेदक के नाम/पद/हस्ताक्षर/सील के साथ

आवेदक/एजेन्सी का नाम........................

पूरा पता...
मोबाइल नंबर...
दूरभाष/ ....
फैक्स क्र0 / ....
ई मेल पता ....

रजिस्ट्रार,
धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,
ज्बलपुर (म.प्र.)